सत्यमेव जयते

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), UTTARAKHAND

सं0: 197/प्रशा0-II/ए.जी.यू.के.(ले0एवंहक0)/विविध /2022-23/1684
दिनांक :22.11.2022

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0 "व्यवस्थापन 'ख' वर्ग"
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः प्रभागों में तैनात खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग को अतिरिक्त प्रभार के प्रभागों में बॉयोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 616/294 व्यख–सा0/2018 दिनांक 03.06.2022

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के सर्न्दभित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के आदेश सं0 197/प्रशा–II/विविध/ए.जी.यू.के..(ले0एवंहक0)/व्यक्तिगत पत्रावाली/2022–23/101 दिनांक 31.10.22 द्वारा प्रभागों में तैनात खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग को कार्यरत प्रभागों में बॉयोमैट्रिक माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था। खण्डीय लेखाधिकारी /लेखाकार संघ द्वारा प्रकाश में लाया गया है कि विभिन्न खण्डीय कार्यालयों में स्थापित बॉयोमैट्रिक मशीनों आपस में लिंक नहीं है; जिसके कारण खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग को मुख्य प्रभार के अलावा आवंटित अतिरिक्त प्रभार के प्रभागों में बॉयोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। बॉयोमैट्रिक मशीनों को आपस में लिंक करने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 34/ प्रशा–II/ए.जी.यू.के. (ले0एवंहक0)/ख0ले0 संघ/2017/410 दिनांक 04.07.2017 द्वारा पूर्व में भी अनुरोध किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित परिस्थितियों मे उक्त संवर्ग को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली मे इस प्रकार की वयवस्था की जाए कि सभी निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई खण्ड, ग्रामीण निर्माण विभाग आदि) मे Bio-Metric Machines आपस मे link रहे। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होती, तब तक पूर्व व्यवस्था कायम रखें।

भवदीय

22/11/2022

वरिष्ठ वरि0 उपमहालेखाकार (प्रशासन)